

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235 ]

भोपाल, शनिवार दिनांक 30 अप्रैल 2011—वैशाख 10, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2011

क्र. एफ 6 (ए) 68-2010-1-पांच (44).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को कालम (3) में विनिर्दिष्ट अपीली प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है और विनिर्दिष्ट करती है कि ऐसे अधिकारी उसके (सारणी के) कालम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर अधिकारी तथा सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा पारित किए गए आदेशों से उद्भूत होने वाली अपीलों के संबंध में उन समस्त शक्तियों का प्रयोग तथा समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अपीली प्राधिकारी को प्रदत्त की गई हैं या अधिरोपित किए गए हैं और उनका मुख्यालय उक्त सारणी के कालम (5) में विनिर्दिष्ट स्थान पर होगा:—

#### सारणी

अनुक्रमांक	अधिकारी का पदनाम	अपीली प्राधिकारी	क्षेत्र	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अपीलीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर संभाग—1.	इंदौर संभाग—1	इंदौर संभाग—1 की अधिकारिता में आने वाले वृत्तों में समाविष्ट क्षेत्र.	इंदौर
2	अपीलीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर संभाग—2.	इंदौर संभाग—2	इंदौर संभाग—2 की अधिकारिता में आने वाले वृत्तों में समाविष्ट क्षेत्र.	इंदौर
3	उपायुक्त, मुख्यालय वाणिज्यिक कर, इंदौर.	इंदौर संभाग—3	इंदौर संभाग—3 की अधिकारिता में आने वाले वृत्तों में समाविष्ट क्षेत्र.	इंदौर
4	अपीलीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, उज्जैन संभाग.	उज्जैन संभाग	उज्जैन संभाग—1 की अधिकारिता में आने वाले वृत्तों में समाविष्ट क्षेत्र.	उज्जैन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	अपीलीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, भोपाल संभाग.	भोपाल संभाग	भोपाल संभाग—1 तथा भोपाल संभाग—2 की अधिकारिता में आने वाले वृत्तों में समाविष्ट क्षेत्र.	भोपाल
6	अपीलीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, ग्वालियर संभाग.	ग्वालियर संभाग	ग्वालियर संभाग—1 तथा ग्वालियर संभाग—2 की अधिकारिता में आने वाले वृत्तों में समाविष्ट क्षेत्र.	ग्वालियर
7	अपीलीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर संभाग.	जबलपुर संभाग	जबलपुर संभाग—1 तथा जबलपुर संभाग—2 की अधिकारिता में आने वाले वृत्तों में समाविष्ट क्षेत्र.	जबलपुर
8	अपीलीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, छिंदवाड़ा संभाग.	छिंदवाड़ा संभाग	छिंदवाड़ा संभाग की अधिकारिता में आने वाले वृत्तों में समाविष्ट क्षेत्र.	छिंदवाड़ा
9	अपीलीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, सतना संभाग.	सतना संभाग	सतना संभाग की अधिकारिता में आने वाले वृत्तों में समाविष्ट क्षेत्र.	सतना
10	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, रतलाम संभाग.	रतलाम संभाग	रतलाम संभाग की अधिकारिता में आने वाले वृत्तों में समाविष्ट क्षेत्र.	रतलाम
11	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, सागर संभाग.	सागर संभाग	सागर संभाग की अधिकारिता में आने वाले वृत्तों में समाविष्ट क्षेत्र.	सागर
12	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, खण्डवा संभाग.	खण्डवा संभाग	खण्डवा संभाग की अधिकारिता में आने वाले वृत्तों में समाविष्ट क्षेत्र.	खण्डवा

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी होगी.

F-A-6-68-2010-1-V-(44).—In exercise of the powers conferred by Section 3-A read with sub-section (4) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby appoints the officers mentioned in column (2) of the table below as Appellate Authority specified in column (3), and specify that such officers shall exercise all the powers and perform all the duties conferred or imposed on the Appellate Authority by or under this Act in respect of the appeals arising out of the orders passed by the Assistant Commercial Tax Officer, Commercial Tax Officer and Assistant Commissioner of Commercial Tax in the area specified in column (4) thereof and their headquarters shall be at the places specified in column (5) of the said Table:—

TABLE

S. No.	Designation of the Officer	Appellate Authority	Area	Headquarters
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Appellate Deputy Commissioner of Commercial Tax, Indore Division-1.	Indore Division-1	Area comprising of the circles falling under the jurisdiction of Indore Division-1.	Indore
2	Appellate Deputy Commissioner of Commercial Tax, Indore Division-2.	Indore Division-2	Area comprising of the circles falling under the jurisdiction of Indore Division-2.	Indore
3	Deputy Commissioner of Headquarters, Commercial Tax, Indore.	Indore Division-3	Area comprising of the circles falling under the jurisdiction of Indore Division-3.	Indore
4	Appellate Deputy Commissioner of Commercial Tax, Ujjain Division.	Ujjain Division	Area comprising of the circles falling under the jurisdiction of Ujjain Division-1.	Ujjain

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Appellate Deputy Commissioner of Commercial Tax, Bhopal Division.	Bhopal Division	Area comprising of the circles falling under the jurisdiction of Bhopal Division-1 and Bhopal Division-2.	Bhopal
6	Appellate Deputy Commissioner of Commercial Tax, Gwalior Division.	Gwalior Division	Area comprising of the circles falling under the jurisdiction of Gwalior Division-1 and Gwalior Division-2.	Gwalior
7	Appellate Deputy Commissioner of Commercial Tax, Jabalpur Division.	Jabalpur Division	Area comprising of the circles falling under the jurisdiction of Jabalpur Division-1 and Jabalpur Division-2.	Jabalpur
8	Appellate Deputy Commissioner of Commercial Tax, Chhindwar. Division.	Chhindwara Division	Area comprising of the circles falling under the jurisdiction of Chhindwara Division.	Chhindwara
9	Appellate Deputy Commissioner of Commercial Tax, Satna Division.	Division Satna	Area comprising of the circles falling under the jurisdiction of Satna Division.	Satna
10	Deputy Commissioner of Commercial Tax, Ratlam Division-1.	Ratlam Division	Area comprising of the circles falling under the jurisdiction of Ratlam Division.	Ratlam
11	Deputy Commissioner of Commercial Tax, Sagar Division.	Sagar Division	Area comprising of the circles falling under the jurisdiction of Sagar Division.	Sagar
12	Deputy Commissioner of Commercial Tax, Khandwa Division.	Khandwa Division	Area comprising of the circles falling under the jurisdiction of Khandwa Division.	Khandwa

2. This notification shall be effective from 1st April, 2011.

क्र. एफ-6 (ए) 68-2010-1-पांच (45).—मध्यप्रदेश वेत अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 3 की उपधारा (4) तथा धारा 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-1, 2010-1-पांच (39), दिनांक 26 फरवरी, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1, 2, 3 तथा 4 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

### सारणी

अनुक्रमांक (1)	अधिकारी का पदनाम (2)	अपीली प्राधिकारी (3)	क्षेत्र (4)	मुख्यालय (5)
“1.	परिक्षेत्रीय अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर-1	परिक्षेत्र इंदौर-1.	इंदौर संभाग-1, इंदौर संभाग-2 तथा इंदौर संभाग-3 की अधिकारिता में आने वाले वृत्तों में समाविष्ट क्षेत्र.	इंदौर
1क.	परिक्षेत्रीय अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर-2	परिक्षेत्र इंदौर-2.	उज्जैन संभाग, रतलाम संभाग, तथा खंडवा संभाग की अधिकारिता में आने वाले वृत्तों में समाविष्ट क्षेत्र.	इंदौर
2.	परिक्षेत्रीय अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, भोपाल	परिक्षेत्र भोपाल.	भोपाल संभाग-1 तथा भोपाल संभाग-2 की अधिकारिता में आने वाले वृत्तों में समाविष्ट क्षेत्र.	भोपाल

(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
3.	परिक्षेत्रीय अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर.	परिक्षेत्र जबलपुर	जबलपुर संभाग-1, जबलपुर संभाग-2, सतना संभाग, छिंदवाड़ा तथा सागर संभाग की अधिकारिता में आने वाले वृत्तों में समाविष्ट क्षेत्र.	जबलपुर
4.	परिक्षेत्रीय अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, ग्वालियर.	परिक्षेत्र ग्वालियर	ग्वालियर संभाग-1, तथा ग्वालियर संभाग-2, की अधिकारिता में आने वाले वृत्तों में समाविष्ट क्षेत्र.	ग्वालियर''.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगी.

F-A-6-68-2010-1-V-(45).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 3 and Section 3A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby makes the following amendments in this department's notification No. A-3-1-2010-1-V (39) dated 26th February, 2010, namely:—

#### AMENDMENTS

In the said notification, in the table, for serial numbers 1, 2, 3 and 4 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S.No. (1)	Designation of the Officer (2)	Appellate Authority (3)	Area (4)	Headquarter (5)
"1.	Zonal Additional Commissioner of Commercial Tax, Indore-1.	Zone Indore-1	Area Comprising of the Circles falling under the jurisdiction of Indore Division-1 and Indore Division-2 and Indore Division-3.	Indore
1A	Zonal Additional Commissioner of Commercial Tax, Indore-2.	Zone Indore-2	Area Comprising of the Circles falling under the jurisdiction of Ujjain Division, Ratlam Division and Khandwa Division.	Indore
2.	Zonal Additional Commissioner of Commercial Tax, Bhopal.	Zone Bhopal	Area Comprising of the Circles falling under the jurisdiction of Bhopal Division-1 and Bhopal Division-2.	Bhopal
3.	Zonal Additional Commissioner of Commercial Tax, Jabalpur.	Zone Jabalpur	Area Comprising of the Circles falling under the jurisdiction of Jabalpur Division-1, Jabalpur Division-2, Satna Division, Chhindwara and Sagar Division.	Jabalpur
4.	Zonal Additional Commissioner of Commercial Tax. Gwalior.	Zone Gwalior	Area Comprising of the Circles falling under the jurisdiction of Gwalior Division-1, and Gwalior Division-2.	Gwalior''.

2. This Notification shall be effective from 1st April 2011.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.